भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4172 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

लघु पत्तनों का उन्नयन

†4172. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी. :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की लघु पत्तनों का महापत्तनों के रूप में उन्नयन करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली क्षेत्र में एक नया पत्तन विकसित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): महापत्तन, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है तथा महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तन (गैर-महापत्तन/ लघु पत्तन) संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत आते है। मंत्रालय, सागरमाला योजना के तहत, पत्तन अवसंरचना विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए तटीय राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता एवं समर्थन प्रदान कर रहा है।

(ख) और (ग): तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान में तिरुनेलवेली जिले में एक नए गैर-महापत्तन के विकास के लिए तमिलनाडु समुद्री बोर्ड में कोई नई योजनाएं नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में थूथुक्कुडी जिले में वी.ओ.चिदंबरनार पत्तन (महापत्तन) और कन्याकुमारी (गैर-महापत्तन) मौजूद है।

*****